

विविध प्रार्थना पत्र सं० 4/16 रेशमसिंह बनाम ग्राम पंचायत 18 जैड व कुलवन्तसिंह

11.7.17



पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि प्रार्थी के पूर्व अधिवक्ता श्री चरणदास कम्बोज आवश्यक कार्य से बाहर गए हुए थे और प्रार्थी को यह हिदायत दे रखी थी कि हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है इसलिए दिनांक 8-1-16 को प्रार्थी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण प्रकरण अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त किया जावे तथा अंतिम बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा है कि प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किया गया है, वह सन्तोषप्रद नहीं है। न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के अधिवक्ता को बार बार अवाजें लगाने पर उपस्थित नहीं होने से निगरानी अदम हाजिरी, अदम पैरवी में खारिज की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण बहस हेतु नियत था। दिनांक 8-1-16 की पेशी पर अप्रार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि उसके द्वारा पूर्व में लिखित बहस प्रस्तुत की हुई है। इस पर निगरानीकर्ता के अधिवक्ता को बार बार अवाजें लगाई गई, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता के हाजिर न होने के कारण प्रकरण अदम हाजिरी, अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 को स्वीकार किये जाने के लिए जो कारण अंकित किया है, वह स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि यदि निगरानीकर्ता के अधिवक्ता बाहर गये हुए थे तो अथोरिटी पत्र पर किसी अन्य अधिवक्ता को उपस्थित होना चाहिये था तथा न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना चाहिये था। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में कोई सार न होने से खारिज किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णित दर्शित कर नम्बर से कम की जावे व बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।



11/7/17
(नख्तदान बराहठे)
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीमंगलनगर।